संख्या-7/2016/524/58-2016-36/2016

प्रेषक

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 22 फरवरी, 2016**

विषय: **वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखाशीर्षक-4401-119-03-0309-वाराणसी में पॉली हाउस एवं ग्रीन हाउस का निर्माण की योजना के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0-1235 हजार को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-295/बजट-अयोजनेत्तर/2015-16 दिनांक 15.01.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4401-119-03-0309-वाराणसी में पॉली हाउस एवं ग्रीन हाउस का निर्माण कार्य की योजना के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-12.35 लाख (रूपये बारह लाख पैतीस हजार) मात्र की धनराशि को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाषीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	2	3
4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर- 119- बागवानी तथा बनस्पति की फसलें- 03- नर्सरी- 0309- वाराणसी में पॉली हाउस एवं ग्रीन हाउस का निर्माण- 24- बृहत निर्माण कार्य	1235	1235
योग	**1235**	**1235**

(रूपये बारह लाख पैतीस हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति भी अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य शासन के सुसंगत नियमों/वित्तीय नियमों/निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि को नामित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, वाराणसी को दो किश्तों में दी जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग हो जाने के पश्चात्, कराये गये कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप सुनिश्चित होने के फलस्वरूप ही द्वितीय किश्त का भुगतान किया जायेगा ।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण योजना के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार फेजिंग करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाय।

(4) लागत का आंकलन पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार ही किया जायेगा। विसंगति की स्थिति निदेशक, उद्यान, जनपदीय उद्यान अधिकारी एवं नामित कार्यदायी संस्था सीधे उत्तरदायी होंगे।

(5) प्रश्नगत कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे निदेशक, उद्यान/वित्त नियन्त्रक अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(6) जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उनमें धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासन में प्रेषित की गयी योजना के अनुसार ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.3.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-119-बागवानी तथा बनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0309-वाराणसी में पॉली हाउस एवं ग्रीन हाउस का निर्माण-24- बृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/ 2015 दिनांक 30.3.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

<u>संख्या-7/2016/524(1)/58-2016 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, वाराणसी।
3- कोषाधिकारी, वाराणसी।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
6- उप निदेशक उद्यान, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in